इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जुलाई 2013—आषाढ़ 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. एफ 22-5-2008-आठ.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इस विभाग की तत्संबंधी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

(क) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, लाल बत्ती जब यान प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो, (1)	(ख) यान के अग्र शीर्ष भाग पर पीली बत्ती (उनके अधिकार क्षेत्र में) (2)
1. राज्यपाल	1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. मुख्यमंत्री	2. मुख्य सचिव/समकक्ष अधिकारी
3. मुख्य न्यायाधीश	3. पुलिस महानिर्देशक/ समकक्ष अधिकारी
4. विधान सभा अध्यक्ष	4. संभागीय आयुक्त (अपने संभागों में)
5. विधान सभा उपाध्यक्ष	5. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (अपने रेन्ज में)
6. मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण	6. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर (अपने जिले में)
7. नेता प्रतिपक्ष	7. पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में)
8. लोकायुक्त	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/एसडीएम/ एडीओपी/ सीएसपी (अपने अनुभाग में)
9. अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग	

(ग) रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एंबुलेंस में लगाई गई परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाईट.

(घ) टॉप लाईट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकोटिंग करने वाले तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार हैं.

(ङ) उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाईट का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढका जायेगा.

(च) पीली बत्ती की अनुज्ञा प्राप्त पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा कर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.